वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, मार्च ०९, २०१५

एस.ओ.289.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-65 दिनांक 14 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा वे मानदंड विनिर्देष्ट करती है जिनके आधार पर बहुमंजिला भवन के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	इकाई का विवरण	भूमि के मूल्यांकन की रीति
1.	छत के अधिकार के बिना भू-तल पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का
	किसी इकाई के अन्तरण पर	70 प्रतिशत
2.	छत के अधिकार के बिना प्रथम या	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का
!	द्वितीय तल पर किसी इकाई के	60 प्रतिशत
	अन्तरण पर	
3.	छत के अधिकार के बिना तहस्राना	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का
	(बेसमेंण्ट) या तृतीय या उससे ऊपर	५० प्रतिशत
	के तल पर किसी इकाई के अन्तरण	
	ਧਟ	
4.	छत के अधिकार के साथ किसी	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का
	इकाई के अन्तरण पर	100 प्रतिशत

[एफ.4(4)वित्त/कर/२०१५-२२५] राज्यपृत्त के आदेश से,

> मनीष माथुर, संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2015

S.O.289.- In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's Notification No. F.4(15)FD/Tax/2014-65 dated July 14, 2014, the State Government hereby specify the criteria on the basis of which market value of the proportionate land under the multistoried building shall be assessed:-

S. No.	Description of unit	Method of valuation of the land
I.	On transfer of a unit on ground floor without the rights of roof	70% of the assessed market value of the land
2.	On transfer of a unit on first or second floor without the rights of roof	60% of the assessed market value of the land
3.	On transfer of a unit on basement or third or above floor without the rights of roof	50% of the assessed market value of the land
4.	On transfer of a unit with the rights of roof	100% of the assessed market value of the land

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-225] By order of the Governor,

(Manish Mathur)

Jt. Secretary to the Government